



प्राथमिक शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश

विभाग नमर

Visit us: <http://www.up.gov.in>

Phone No. 0522-2300001
0522-2301200
0522-2300000
Fax No. 0522-2300001
0522-2300002

-आदेश-


लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रशासन की समुची के माध्यम से सारनादेश सं-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक-29.04.2021 में विहित प्राधान्यानुसार कर्नाला ज्युटिश, काठकला कैम्पेन सं-0300-34800 संपूर्य प्रेकेशन सं-4200/- (एनपीएल वेतन मेंट्रिप्टा में वेतन संरचना लेवल-6) में नियुक्त वेतन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत अगामी चर्चे सहित पदमार प्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित अगामी की औपचारिक नियुक्ति समके पत्र के समुक्त अदिता सलिका के संक-4 में अदिता संख्या में कार्यभार प्रहण करने की तिथि से इस स्त के साथ की जाती है कि यदि अगामी का चरित्र एवं पूर्णता सत्यापित नहीं होता है या अगामी द्वारा अपने सारनादेश या प्रमाण पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपचारिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा और परिणामरूप अगामी/विहित कार्यवाही भी की जाएगी। अगामी की यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी है एवं नियुक्त अगामी की सेवा सारनादेश संख्या-20/1/74-3 दिनांक-11.06.1975 में विहित प्राधान्यानुसार किसी भी पद प्राप्त एक माह की नोटिस पर समाप्त की जा सकती है-

क्रमांक	अगामी का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	रकई पत्र	संख्या जहाँ नियुक्ति की जाये है
1	2	3	4
1	श्री रजनीत कुमार पुत्र श्री योगेश कुमार 117/425 एल ब्लॉक काकादेव कलनपुर उत्तर प्रदेश-208025	117/425 एल ब्लॉक काकादेव कलनपुर उत्तर प्रदेश-208025	सीरानगा अल-करीमाई सहकारी महिला पालीटेकनिक, आसी

नियुक्त अगामी द्वारा पदमार प्रहण करने पर तत्काल परिणता समक-समक पर कर्मस्थायित "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक व्यवस्था नियमावली, 1997" में विहित प्राधान्यानुसार बाद में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अगामी को पदमार प्रहण करने समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हंगे-

1. सभी शैक्षणिक एवं अनुभव सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
2. दो राजभाषित अधिकारियों, जो उनके सम्बन्धी न-हो, के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
3. एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
5. भारतीय सारनादेश के प्रति निष्ठाकरण रहने का प्रमाण-पत्र।
6. स्थानीय पुलिस थाना से चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण-पत्र।

पदमार प्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण-पत्र निदेशालय एवं संबंधित क्षेत्रीय समुची निदेशक कार्यालय भेजे जायें। नियुक्त अगामी को नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यभार प्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक उपरोक्त अगामी कार्यभार प्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनका नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझा जायेगा। पदमार प्रहण करने हेतु नियुक्त अगामी को किसी प्रकार का कोई यात्रा पता देना नहीं होगा। संबंधित अगामी उक्त पद पर कार्यभार प्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की विहित परीक्षा पर रहेंगे।


(मनोज कुमार)
निदेशक

Manoj Sampada Ed :
1403861